



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19765

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1147/2026

सत्य नारायण.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:अजय सिंह पटेल, पीयूष

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह पटेल और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे 01.08.1997 को 'सीजनल कलेक्शन चपरासी' (मौसमी संग्रह चपरासी) के पद पर नियुक्त किया गया था, और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में, रिट याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 17 पर दर्ज था। रिट याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वर्ष 2007 में उसकी सेवा को स्थायी कर दिया गया था और वह दिनांक 30.04.2025 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन 'पुरानी पेंशन योजना' के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय चौथे प्रतिवादी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इन निवेदनों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन चौथे प्रतिवादी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट के समक्ष दिनांक 12.02.2026 तक प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, चौथा प्रतिवादी चार माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”